

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4290/2026**

लकमन आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और 4
अन्य

..... विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	वली नवाज़ खान, अलीना मसूदी
विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वली नवाज़ खान, राज्य के विद्वान
अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद मोर्य और विपक्षी संख्या 2 और
3 की ओर से वकालतनामा दाखिल करने वाली अधिवक्ता सुश्री स्निग्धा
सिंह को सुना, जिसे अभिलेख में लिया गया।

2. यह आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 29/2026 अंतर्गत धारा 137(2),
87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता, और धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा
सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थाना विश्वेश्वरगंज जिला बहराइच, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. उपर्युक्त मामला 01.02.2026 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक ने 31.01.2026 को शिकायतकर्ता की 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था।

4. अन्वेषण अधिकारी ने होटल प्रबंधक का बयान दर्ज किया, जिसने बताया कि आवेदक शुरु में 27.01.2026 को अकेले होटल आया था और उसने एक कमरा लिया था। इसके बाद, वह 31.01.2026 को लगभग 11:15 बजे अपना कमरा बदलने का अनुरोध करते हुए बाहर गया और कहा कि वह शाम 7:00-8:00 बजे के बीच वापस आ जाएगा। आवेदक लगभग 7:30 बजे एक लड़की (पीड़िता) के साथ होटल पहुंचा। पीड़िता ने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 02.08.2007 दर्ज थी। वह आवेदक के साथ कमरे में रुकी और दोनों ने 01.02.2026 को सुबह 4:05 बजे चेक आउट किया।

5. धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में उसने कहा कि उसकी उम्र 16 वर्ष है, वह इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई थी, वह उसे पिछले एक वर्ष से जानती है और उससे प्यार करती है। जब उसके पिता और भाई को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे जान से मारने की बात शुरू कर दी, इसलिए वह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोपी के साथ भाग गई। दोनों नेपाल गए और एक मंदिर में शादी कर ली।

6. चिकित्सा-कानूनी जांच आख्या में शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट का कोई निशान या बल प्रयोग का कोई संकेत नहीं है।

7. धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में उसने अपने पहले के बयान को दोहराया। उसने बताया कि उसका भाई उसे जान से मारने की साजिश रच रहा था। उसके घर में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए उसने आरोपी को फोन किया और उससे उसे घर से ले जाकर बचाने का अनुरोध किया। इसके बाद वह नेपाल गई और उससे शादी कर ली। उसने बताया कि आरोपी ने उस पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला और उसने अपनी मर्जी से उससे शादी की क्योंकि वह अपने परिवार से तंग आ चुकी थी। पीड़िता ने बताया कि उसके परिवार वालों ने बार-बार उसे जान से मारने की कोशिश की और अगर वह आरोपी के साथ नहीं जाती तो उसके परिवार वाले उसे मार डालते।

8. जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में कहा गया है कि आरोपी 20 वर्षीय युवक है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने बताया है कि अन्वेषण के दौरान आरोप सिद्ध हो चुके हैं और 20.04.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

10. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि पीड़िता नाबालिग है।

11. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और पीड़िता के लगातार दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसने आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि अपने ही परिवार के सदस्यों पर उसे जान से मारने का आरोप लगाया है और कहा है कि उसने खुद आवेदक से उसे अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया था ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और यह कि आवेदक 20 वर्ष का एक युवक है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 8 मार्च 2026 से जेल में बंद है जबकि अन्वेषण पूरी हो चुकी है, मेरा मानना है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हैं।

12. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक **लकमन** को उपर्युक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

18 जून, 2026

-अमित के-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।